न्यायालय – अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर, राज.

पीठासीन अधिकारी	–	**ज्योति पटेल,** आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	–	441/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	432/2014, पीएस जैतारण,

राजस्थान सरकार, जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

–– अभियोजन

बनाम

01. उत्पल सरकार पुत्र गौरपदे, निवासी शान्ति नगर, पुलिस थाना हंसखली जिला नदिया, पश्चिम बंगाल हाल किरायेदार निम्बेड़ा कलां पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर,

02. सुजीत विश्वास पुत्र सदानन्द विश्वास, निवासी कंठालिया पोस्ट नन्दपुर, पुलिस थाना करीमपुर, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल हाल किरायेदार पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर

–– अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता व 15(2) आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

01. सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते–राज्य।
02. श्री अरूण सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

क.सं.	स्तर	दिनांक
01.	प्रसंज्ञान	02.12.2015
02.	आरोप	28.03.2017
05.	साक्ष्य अभियोजन समाप्त	16.03.2026
06.	बयान मुलजिम	25.03.2026
08.	बहस अंतिम	25.03.2026
09.	निर्णय	28.03.2026

निर्णय **दिनांक : 28.03.2026**

01. इस प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना जैतारण की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण उत्पल सरकार व सुजीत विश्वास के विरूद्व आरोप

पत्र अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता व 15(2) आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत करने पर हुआ।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.12.2024 को प्रार्थी सुरेश यादव हाल ब्लाक चिकित्सा अधिकारी रायपुर ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आपके क्षेत्र में उत्पल सरकार पुत्र गौरपदे व सुजीत विश्वास पुत्र सदानन्द विश्वास व्यक्ति अवैध ऐलोपेथिक प्रेक्टिस कर रहे हैं। अतः इन अवैध झोलाछाप चिकित्सकों, नीम हकीमों के विरुद्ध आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15(2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 420 भा.दं.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ.आई.आर. दर्ज करावें वगैरा पेश रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 491 दिनांक 05.12.2014 धारा 420 भा.दं.सं. व 15(2) आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया जाकर अनसुंधान प्रारंभ किया गया.....इत्यादि। बाद विस्तृत अनुसंधान पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उत्पल सरकार व सुजीत विश्वास के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता व 15(2) आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में पेश किया गया।

03. अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता व 15(2) आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. **साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन की ओर से गवाहान** पी.डब्ल्यू. 01 रविन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू. 02 महिपाल सिंह ढाका, पी.डब्ल्यू. 03 डॉ. सुरेशचंद यादव, पी.डब्ल्यू. 04 सहदेव, पी.डब्ल्यू. 05 श्यामलाल, पी.डब्ल्यू. 06 मुन्नाराम, पी.डब्ल्यू. 07 चम्पालाल, पी.डब्ल्यू. 08 प्रभुराम, पी.डब्ल्यू. 09 सहीराम विश्नोई, पी.डब्ल्यू. 10 किशनाराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05. **अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज़ी साक्ष्य** में प्रदर्श पी 01 पुलिस बयान महिपाल सिंह ढाका प्रदर्श पी 02 ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पुलिस थाना जैतारण को एफआईआर दर्ज करवाने बाबत पत्र, प्रदर्श पी 03 इन्सटीट्यूट ऑफ अलटार्नेटिव मेडिकल कलकत्ता का एडमिट कार्ड, प्रदर्श पी 04 इन्सटीट्यूट ऑफ अलटार्नेटिव मेडिकल कलकत्ता का आई डी कार्ड, प्रदर्श पी 05 इन्सटीट्यूट ऑफ अलटार्नेटिव मेडिकल कलकत्ता का रजिस्ट्रेशन, प्रदर्श पी 06 इन्सटीट्यूट ऑफ

अलटार्नेटिव मेडिकल कलकत्ता का ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, प्रदर्श पी 07 मेडिकल टेक्नोलोजी रिसर्च इन्सटीट्यूट कलकत्ता का सर्टिफिकेट, प्रदर्श पी. 08 इन्सटीट्यूट ऑफ अलटर्नेटिव मेडिकल कलकत्ता की मार्कशीट, प्रदर्श पी. 09 इंडियन काउन्सिल पैरामेडिकल सोसायटी का एडमिट कार्ड, प्रदर्श पी. 10 इंडियन काउंसिल ऑफ पैरामेडिकल सोसायटी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, प्रदर्श पी. 11 ट्रेनिंग सेंटर सर्टिफिकेट, प्रदर्श पी. 12 मार्कशीट, प्रदर्श पी. 12 व 13 ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार को क्लिनिक बंद करवाने बाबत नोटिस, प्रदर्श पी. 14 राजस्थान सरकार का परिपत्र, प्रदर्श पी. 15 निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान द्वारा जारी पत्र, प्रदर्श पी. 16 निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने बाबत आदेश, प्रदर्श पी. 17 उत्पल सरकार को दस्तावेज पेश करने बाबत जारी नोटिस, प्रदर्श पी. 18 सुजीत विश्वास को दस्तावेज पेश करने बाबत दिया गया नोटिस, प्रदर्श पी. 19 91 सीआरपीसी का जवाब, प्रदर्श पी. 20 पुलिस बयान सहदेव, प्रदर्श पी. 21 पुलिस बयान श्यामलाल, प्रदर्श पी. 22 पुलिस बयान प्रभुराम, प्रदर्श पी. 23 फर्द गिरफ्तारी उत्पल सरकार, प्रदर्श पी. 24 फर्द जब्ती असल दस्तावेज उत्पल सरकार, प्रदर्श पी. 25फर्द गिरफ्तारी सुजीत विश्वास, प्रदर्श पी. 26 फर्द जब्ती असल दस्तावेज सुजीत विश्वास से को प्रदर्शित करवाया।

06. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहों द्वारा किये गये बयानों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किये हैं कि गवाह झूठ बोलते हैं उसे झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

07. बहस अंतिम सुनी गई। अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि प्रकरण में परीक्षित सभी साक्षीगण ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है और ऐसी कोई खण्डनात्मक साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोपित अपराध पर सन्देह किया सके। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

08. अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये तर्क दिये कि प्रकरण में अभियुक्तगण को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य में गंभीर प्रकृति का विरोधाभास है एवं आरोपित अपराध साबित करने के क्रम में एक भी साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराध से दोषमुक्त घोषित किये जाने

का निवेदन किया।

09. हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01. "क्या वर्ष 2014 में अभियुक्त सुजीत ने ग्राम कुशालपुरा में व अभियुक्त उत्पल सरकार ने ग्राम कलां में अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर बिना किसी वैध डिग्री के गांव की भोलीभाली जनता का ऐलोपेथिक दवाइयों से इलाज कर धोखाधड़ी कर बिना वैध डिग्री फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर छल करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व आधुनिक चिकित्सा व आधुनिक चिकित्सा परिषद की अधिनियम की धारा 15(2) के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?"

02. यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दंड का दायी होंगे?

10. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करे तो **अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01** रविन्द्र सिंह ने मुख्य परीक्षा में दिसम्बर, 2014 में ब्लॉक चिकित्सा मेडिकल ऑफिसर रायपुर में स्टोर कीपर के पद पर पदस्थापित होना, उसके उच्च अधिकारी के अनुसंधान में उनके ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी साहब डॉ. सुरेश चंद यादव का उनके क्षेत्राधिकार में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अवैध प्रेक्टिस व उनकी जांच पड़ताल के लिए फील्ड में जाना, उसके साथ डॉ. सुरेशचंद यादव, अकाउंटेड महिपाल ढाका, वाहन चालक मुन्नाराम के साथ कुशालपुरा जाना, जहां पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी साहब को बस स्टेंड पर सुजीत दिखा जो कि एलोपेथी प्रेक्टिस करना पाया जाना, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने उसको नोटिस दिया कि अपने प्रेक्टिस के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करे, इसके बाद वे निम्बाहेड़ा कलां चले गये, जहां पर उत्पल सरकार भी एलोपेथी प्रेक्टिस करते हुए मिला, उन्हें भी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस देकर अपने वैध दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया। उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए या नहीं वह महिपाल जी देखेंगे, बाद में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी साहब ने उन्हें कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रेक्टिस हेतु वैध नहीं है। उसके बाद ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने प्रेक्टिस बंद करने का नोटिस दिया था। **जिरह में** पी. डब्ल्यू. 01 ने कुशालपुरा व निम्बेडा जाने की तारीख याद नहीं होना,उसके सामने नोटिस देना, नोटिस में क्या लिखा था उसे पता नहीं होना, नोटिस देने की जगह चिकित्सा व्यवसाय बाबत साइन बोर्ड लगा हुआ हो तो ध्यान नहीं होना, न ही उत्पल सरकार व सुजीत विश्वास का नाम साइन बोर्ड पर लिखा हुआ होना, कुशालपुरा

पहुंचने पर किसी पेशेंट का वहां पर नहीं मिलना, किसी व्यक्ति ने उसके समक्ष उसके इलाज करने बाबत कोई धोखाधड़ी की हो इस बाबत कोई शिकायत नहीं की, उक्त नोटिस का जवाब दिया या नहीं उसे नहीं पता, उसके समक्ष किसी भी व्यक्ति ने चिकित्सा ईलाज कराने बाबत फीस का संधारण सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार को नहीं किया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 महिपाल सिंह ढाका ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 22.09.2014 को बीसीएमओं रायपुर मे अकाउन्टेंट के पद पर कार्यरत होना, दिनांक 22.09.2014 को उसके बीसीएमओ सुरेशचन्द जी का अपने साथ फील्ड में ले जाना, उनके साथ रविन्द्र सिंह स्टोर कीपर व मुन्नाराम वाहन चालक का होना, पहले कुशालपुरा जाना, कुशालपुरा में एक व्यक्ति का दुकान पर बैठा होना, उसकी दुकान पर देखकर ऐसा प्रतीत होना कि वह डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है कथित किया।

उक्त साक्षी अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गई जिसमें पी.ड. 02 ने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 01 का ए से बी भाग उसके द्वारा नहीं लिखवाया जाना, सी से डी भाग सही होना, ई से एफ उसे याद नहीं होना, एस से टी भाग बीसीएमाओ साहब ने चैक किया था और वह डिग्री अवैध पाई गई थी, घ ाटना की तारीख 22.09.2014 होना, कुशालपुरा व निम्बेडा में पहुंचने पर चिकित्सा व्यवसाय करने बाबत कोई विज्ञापन या साईन बोर्ड या डॉक्टर के नाम बाबत नेम प्लेट आदि लगी हुई नहीं होना, न ही बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होना कि वहां पर कोई चिकित्सा व्यवसाय होता है, उसके समक्ष चिकित्सा व्यवसाय में काम आने वाली एलोपैथी दवाई, इंजेक्शन, टेबलेट, सीरप आदि जब्त नहीं करना, प्रदर्श पी. 01 में जो नोटिस देने का कथन किया उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना, जब कुशालपुरा व निम्बेडा में उपस्थित थे तब उस समय कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित होकर अपना ईलाज नहीं करवा रहा था। उसके समक्ष सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार ने किसी व्यक्ति का ईलाज नहीं किया न ही ईलाज बाबत फीस वसूली एवं न ही किसी की साथ धोखाधड़ी की, किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की, नोटिस देने के पश्चात वे लोग प्रेक्टिस कर रहे हो इस बाबत कोई जानकारी नहीं होना, सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार के मेडिकल प्रेक्टिस करने बाबत डिग्री उसके समक्ष डॉक्टर साहब ने चैक नही ंकी थी, सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार उसके समक्ष कोई चिकित्सा व्यवसाय नहीं करने का कथित किया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 डॉ. सुरेशचंद यादव ने मुख्य परीक्षा में कथन

किए कि दिनांक 22.09.2014 को वह ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायपुर के पद पर रायपुर में कार्यरत था, जयपुर निदेशालय से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को बंगाली चिकित्सकों पर कार्यवाही के लिए पाबंद करना एवं जिला स्तरीय मीटिंग में भी बंगाली चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही बाबत बार–बार निर्देश देना, उनकी क्लिनिक पर जाकर उन्हें राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर की रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं एमबीबीएस की डिग्री पेश करने बाबत लिखित में दिनांक 22.09.2014 को नोटिस देना जिस पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर है, सबसे पहले गांव कुशालपुरा में जाना तथा उसके साथ महिपाल ढाका जो अकाउन्टेट, रविन्द्र सिंह स्टोर कीपर व मुन्नालाल वाहन चालक साथ में जाना, कुशालपुरा चौराये पर एक क्लिनिक नजर आना तथा वहां के लोगों द्वारा बताना कि यहां पर कोई बंगाली चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पर गया था जो कि डा. विश्वास ऐसा कुछ नाम बताया था। उससे उसकी एमबीबीएस की डिग्री व राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर की रजिस्ट्रेशन की प्रति पेश करने के लिए कहा तो उसने कहा वह बाद मे दूंगा, उसके पश्चात उनको मौके पर ही नोटिस देना, फिर वे लोग निम्बेड़ा कलां गये वहां उन्हें जानकारी हुई कि कोई उत्पल सरकार नाम व्यक्ति जो अवैध प्रेक्टिस कर रहा है, तो वे लोगों के बताये अनुसार वहां पर पहुचे, उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम उत्पल सरकार बताया। वहां उनसे उसकी एमबीबीएस की डिग्री व राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर की रजिस्ट्रेशन की प्रति पेश करने के लिए कहा तो उसने कहा वह बाद में दूंगा, उसके पश्चात उसने उसको मौके पर ही नोटिस दिया, दोनो जगह डॉ. सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार के क्लिनिक पर उन्होंने देखा कि वहां कुछ एलोपैथी मेडिसन, ड्रीप व इंजेक्शन इत्यादि वहां पर रखे हुए थे, सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार दोनों ने अपने प्रेक्टिस बाबत दस्तावेज उसक समक्ष पेश किए, जिसका अवलोकन उसने किया तो पाया कि चिकित्सा विभाग के नियमानुसार राजस्थान में मेडिकल प्रेक्टिस करने हेतु राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर के रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तथा एमबीबीएस की डिग्री आवश्यक है ये दोनों ही उनके द्वारा दिये गये दस्तावेजों नहीं पाई गई, इस आधार पर उन्हें कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र द्वारा नोटिस दिया गया कि आपके द्वारा प्रस्तुत सर्टिफिकेट राजस्थान में प्रेक्टिस करने हेतु अधिकृत नहीं पाये गये है, अतः आप अपनी क्लिनिक बंद करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हमारे निर्देश के बावजूद भी उन्होंने क्लिनिक बंद नही की थी। इसके पश्चात उन्होंने थाना जैतारण में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। उसके द्वारा थानाधिकारी जैतारण को दी गई रिपोर्ट

प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उत्पल सरकार द्वारा इन्सटीटयूट ऑफ अलटर्नेटिव मेडिकल कलकता का एडमिट प्रदर्श पी 03 है तथा उक्त इंन्सटीटयूट का आई डी कार्ड प्रदर्श पी 4 है तथा उक्त इन्सटीट्यूट का रजिस्ट्रेशन प्रदर्श पी 05 है तथा उक्त इंसटीट्यूट का ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट कलकता का प्रदर्श पी 06 है। उक्त इन्सटीटयूट के ट्रेनिंग बाबत दस्तावेज प्रदर्श पी 11 है तथा उक्त इन्सटीट्यूट के सूजीत विश्वास की मार्कशीट प्रदर्श पी 12 है। जिनका उसने अवलोकन किया था। उत्पल सरकार व सुजीत विश्वास द्वारा पेश किए गये दस्तावेजों के अवलोकन के बाद उसने अपने कार्यालय से सुजीत विश्वास को क्लिनिक बंद करने को जो नोटिस दिया वह प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा उत्पल सरकार क्लिनिक बंद करने का नोटिस दिया जिस पर ऐ से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 12 व 13 में स्पष्ट निर्देश दिया कि आपके द्वारा पेश किए गए दस्तावेज राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर से किसी प्रकार का कोई पंजीकरण नही है जो कि अवैध एलोपेथी प्रेक्टिस की श्रेणी में आता है एवं आपके पास औषधियों के स्टॉक व विक्रय हेतु वैध लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र भी नहीं पाये गये हैं जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री 1940 का उल्लंघन है। अतः उन्हें क्लिनिक व प्रेक्टिस तीन दिन के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया था। बंगाली चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही बाबत दिनांक 07.12.2004 का राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसी बाबत दिनांक 14.08.2014 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी लेटर प्रदर्श पी 15 है तथा दिनांक 21.11.2014 को जारी राजस्थान सरकार के आदेश में अवैध प्रेक्टिस करने वाले झोला छापा डॉक्टरों के विरुद्ध थानें में एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देशित किया जो प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इन्हीं आदेशों की अनुपालना में उसने अवैध प्रेक्टिस करते पाये गये झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई। उत्पल सरकार को दस्तावेज पेश करने बाबत मौके पर दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उत्पल सरकार के हस्ताक्षर है तथा ए के विश्वास को दस्तावेज पेश करने हेतु मौके पर दिया नोटिस प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस पर उसे सुजीत विश्वास ने अपना ए के विश्वास बताया इसलिए उसने ए के विश्वास लिखा। ए के विश्वास व सुजीत विश्वास एक ही आदमी के नाम हो यह उसे याद नहीं है। उसके द्वारा थानाधिकारी जैतारण को सेक्शन 91 सीआरपीसी का दिया गया जवाब प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में** कुशालपुरा व

निम्बेड़ा में जिस स्थान पर गये उस स्थान पर कोई साइन बोर्ड, नेमप्लेट एलोपैथी ईलाज करने बाबत इत्यादि लिखा हो तो उसे याद नहीं, उक्त स्थान जहां पर चिकित्सा ईलाज करने बाबत बताया वहां के फोटोग्राफ्स इत्यादि नहीं खींचे तथा न ही पत्रावली पर पेश किये, उसने किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को एलोपेथी इलाज करने बाबत गवाह से पूछताछ नहीं की थी, वहां से उपस्थित लोगों से पूछताछ की थी पर उनके बयान उसने नहीं लिये थे, वहां पर उपस्थित लोगों ने लिखित में कोई शिकायत नहीं दी थी, किसी व्यक्ति ने कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में शिकायत दी हो तो उसे याद नहीं, मुलजिमान ने जो दस्तावेज पेश किये थे वे उनके द्वारा उस संस्थान मे जाकर जांच नहीं की थी, पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग उसने दिया था, उसके सामने सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार ने किसी भी व्यक्ति से ईलाज बाबत कोई फीस के रूपये लिये हो तो उसे याद नही, निम्बेड़ा व कुशालपुरा में आस पड़ोस में मकान थे, किन किन व्यक्तियों के मकान थे आज याद नहीं है, निम्बेड़ा व कुशालपुरा में उसने एलोपेथी ईलाज बाबत दवाई, इंजेक्शन व ड्रीप इत्यादि जब्त नहीं की क्योंकि उसे अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार ड्रग इंस्पेक्टर को है, यह सही है कि वहां उपस्थित दोनों व्यक्तियों सुजीत विश्वास व उत्पल सरकार के परिचय पत्र व आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र नहीं लिये।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 06 मुन्नाराम ने मुख्य परीक्षा आज से करीब 07 वर्ष पूर्व डॉ. सुरेश यादव ने झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर कार्यवाही करना, निम्बेडा कलां गांव में डॉक्टर उत्पल सरकार ने गांव में एलोपेथी की प्रेक्टिस करता पाया जाने पर उसकी डिग्री मेडिकल काउंसलिंग के दस्तावेज चैक करने पर फर्जी प्रेक्टिस करता हुआ पाया जाने पर मौके पर कार्यवाही करना व उसके दस्तावेज चैक किए हो तो वह नहीं समझता कि असली है या फर्जी मौके पर उत्पल सरकार ग्रामीणों के साथ धोखाधडी करता व इलाज करता पाया जाने के कथन किए। **पी.ड. 06 ने जिरह में** स्वयं का गाड़ी लेकर जाना, कार्यवाही के दौरान बाहर खड़े रहना, उसके समक्ष कोई दस्तावेज चैक नहीं करना, जिस जगह पर गए उस स्थान पर अस्पताल चल रहा हो इस प्रकार का कोई अलामत नजर नहीं आना, साईनबोर्ड और नेम प्लेट आदि नजर नहीं आना, किसी व्यक्ति को वहां पर इलाज करते नहीं देखना, उसके समक्ष गांव के किसी व्यक्ति द्वारा डॉक्टर साहब से कोई शिकायत नहीं करना, उसके पुलिस बयान नहीं होना, पुलिस द्वारा उससे कोई पूछताछ नहीं करना कथित किया।

इस प्रकार उपरोक्त चारों साक्षी प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिन्होंने

अपनी मुख्य परीक्षा में वर्ष 2014 में ग्राम कुशालपुरा व निम्बेड़ा कलां में अभियुक्तगण द्वारा अलग–अलग, बिना वैध अनुज्ञा पत्र/डिग्री के ऐलोपैथिक क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज करना, जिनकों नोटिस देकर क्लिनिक बंद करने बाबत कहना इसके बाद भी अभियुक्तगण द्वारा इलाज करना इत्यादि कथित कर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। जिरह में पी.ड. 01 व पी.ड. 02 तथा पी.ड. 06 ने मौके पर क्लिनिक का कोई नाम, नेम प्लेट नहीं होना, कोई दवाइयां नहीं होना, कोई पेशेंट नहीं होना, स्वयं के समक्ष कोई रोगी नहीं आना, न ही रूपये आदि लेना, न ही दवाइयां जब्त करना बताया व पी.ड. 03 ने उक्त बाबत जानकारी याद नहीं होना बताया साथ ही उक्त चारों साक्षियों ने किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं करना भी बताया। इस प्रकार उक्त चारों साक्षियों के कथनों से अभियोजन कथानक की ताईद नहीं होती न ही ऐसे तथ्यों बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य अनुसंधान के दौरान आई जिस कारण अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न होता है।

अभियोजन साक्षी पी.ड. 04 सहदेव, पी.ड. 05 श्यामलाल, पी.ड. 08 प्रभुराम पक्षद्रोही रहे जो कि कुशालपुरा गांव के हैं जिन्होने अभियुक्त सुजीत को नहीं जानना व कोई इलाज करता था या नहीं देखना बताया। अभियोजन साक्षी पी.ड. 07 चम्पालाल ने मुख्य परीक्षा में आठ साल पहले गांव निम्बेड़ा कलां में सरकारी अस्पताल नहीं होना, बंगाली डॉक्टर उत्पल सरकार द्वारा फीस लेना, इलाज करना, क्लिनिक चलाना इत्यादि बताया। जिरह में इलाज से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं करना, स्वयं को क्या बीमारी थी पता नहीं होना इत्यादि बताया जिससे आरोपित अपराध की ताईद नहीं होती है। अभियोजन साक्षी पी.ड. 09 व पी.ड. 10 पुलिस साक्षी है जिनमें से पी. ड. 09 चाक एफआईआर का साक्षी है व पी.ड. 10 गिरफ्तारी प्रदर्श पी 23, प्रदर्श पी 25 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी 26 का साक्षी है। पी.ड. 10 ने जिरह में जब्तशुदा दस्तावेज क्या थे नहीं पढ़ना, दस्तावेज क्या थे, किससे संबंधित थे नहीं बता सकना बताकर फर्द जब्तियों को साबित नहीं किया बल्कि गिरफ्तारी को ही साबित किया जिससे आरोपित अपराध बाबत संशय उत्पन्न होता है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी भी परीक्षित नहीं हुआ न ही ऐसा कोई साक्ष्य परीक्षित हुआ जिनसे संदेह से परे यह कथन किए हो कि अभियुक्तगण किसी क्लिनिक का संचालन कर चिकित्सा व्यवसाय करते हो व उन्होंने इलाज व दवाइयां ली हो। इस प्रकार उपर्युक्त समग्र विवेचनानुसार पत्रावली पर उपरोक्त अभियोजन पक्ष की समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत

होता है।

आदेश

11. अतः अभियुक्तगण **01. उत्पल सरकार पुत्र गौरपदे, निवासी शान्ति नगर, पुलिस थाना हंसखली जिला नदिया, पश्चिम बंगाल हाल किरायेदार निम्बेड़ा कलां पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर, 02. सुजीत विश्वास पुत्र सदानन्द विश्वास, निवासी कंठालिया पोस्ट नन्दपुर, पुलिस थाना करीमपुर, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल हाल किरायेदार पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **420 भारतीय दंड संहिता व 15(2) आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956** के तहत सन्देह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/–रुपये की जमानतें व इसी कदर राशि के मुचलके इस आशय के पेश करें कि वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाऐंगे।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर

12. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर